

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302005  
0141-2222403, वेबसाईट [www.cmar-india.org](http://www.cmar-india.org), ई-मेल : [dlbrajasthan@gmail.com](mailto:dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:-एफ9( )मु.श.ज.क.शि.-17/ 736-947

दिनांक:-18/05

01. उप निदेशक (क्षेत्रीय),  
स्थानीय निकाय विभाग,  
समस्त राज0।
02. नगर विकास न्यास,  
समस्त राज0।
03. आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,  
समस्त राज0।

विषय:-मुख्यमंत्री शहरी जन-कल्याण योजना 2017 के शिविरों की सूचना हेतु पोर्टल पर संकलित सूचना प्रपत्रों पर पुनः विचार कर आवश्यक संशोधन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित की गई रिपोर्ट को Freeze करने के निर्देशों की पालना के अनुसार 12-13 मई 2017 की रिपोर्ट एवं 10-13 मई 2017 की एकजाई रिपोर्ट के आकड़ों में अन्तर पाया गया है एवं पीपीटी के लिये भेजी गई रिपोर्ट व दिनांक 14 मई 2017 को जारी आदेश अनुसार व सूचना प्रपत्रों की सारणियों की भाषा पर पुनः विचार करते हुये पोर्टल पर आवश्यक संशोधन एवं प्रपत्रों की सूचनाओं में बार-बार संशोधन नहीं किया जावे, प्रतिदिन सूचना अपलोड की जायेगी। निर्धारित परिपत्र में शिविर सूचना प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्रेषित की जावे।

अतः शिविर के दूसरे दिन पोर्टल लॉक हो जायेगा। उसके पश्चात अगले दिन की सूचनाएं अपलोड कर सकेंगे।

( मुकेश कुमार मीणा )

अतिरिक्त निदेशक

दिनांक:-

क्रमांक:-एफ9( )मु.श.ज.क.शि.-17/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
02. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय।
03. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक